**संख्या-214/2026/आई0/1452877/2026-5-6099/261/2026-6-**

प्रेषक,

**चन्द्र शेखर मिश्र,**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**महानिदेशक,**
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**चिकित्सा अनुभाग-6** **लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष, 2026-27 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष क्रमश: अमर शहीद उमानाथ सिंह जिला चिकित्सालय, जौनपुर, जिला चिकित्सालय, उरई, जिला महिला चिकित्सालय, सीतापुर, 100 शैय्या क्षयरोग सह सामान्य चिकित्सालय, गोरखपुर, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ एवं 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, हरदोई में विभिन्न प्रकार के उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

.....................

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्र संख्या-11फ/प्रस्ताव/2026-27/9840, दिनांक 14.07.2026 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष, 2026-27 में निम्नलिखित विवरणानुसार अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष क्रमश: अमर शहीद उमानाथ सिंह जिला चिकित्सालय, जौनपुर, जिला चिकित्सालय, उरई, जिला महिला चिकित्सालय, सीतापुर, 100 शैय्या क्षयरोग सह सामान्य चिकित्सालय, गोरखपुर, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ एवं 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, हरदोई में विभिन्न प्रकार के उपकरणों के क्रय हेतु कुल धनराशि रुपये 6,01,27,328/- (रूपये छः करोड़ एक लाख सत्ताईस हजार तीन सौ अट्ठाईस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

**विभिन्न चिकित्सालयों से प्राप्त मांग पत्रों का विवरण**

| क्र0 सं0 | जनपद/चिकित्सा इकाई का नाम | पत्र संख्या व दिनांक | उपकरण का नाम | मात्रा | अनुमानित लागत (रू0में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, जौनपुर | पत्र संख्या-जि0चि0जौ0/उपकरण/मांग-पत्र/ 2026-27/1138-89 दिनांक 17.06.2026 | सी-आर्म मशीन विद अटैचमेन्ट | 1 | 1903023.00 |
| | | | आटो रिफ्रिक्टोमीटर एवं किरोटोमीटर | 1 | 495000.00 |
| 2 | मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उरई | पत्र संख्या-मु0चि0अ0/जि0चि0/उपकरण/सूचना/2026-27/1046 दिनांक 30.06.2026 | लेप्रोस्कोप (सर्जरी) | 1 | 2000000.00 |
| | | | सी-आर्म मशीन विद अटैचमेन्ट | 1 | 1903023.00 |
| | | | इलेक्ट्रिकल ड्रिल सॉ मशीन | 1 | 789500.00 |
| | | | एनस्थीसिया वर्क स्टेशन | 1 | 1500000.00 |
| | | | कलर डापलर अल्ट्रासाउण्ड मशीन | 1 | 868274.00 |
| 3 | मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, सीतापुर | पत्र संख्या-जि0म0चि0/उपकरण/मांग-पत्र/2026/1933, दिनांक 16.06.2026 | कलर डापलर अल्ट्रासाउण्ड मशीन | 1 | 868274.00 |
| | | | ई0सी0जी0 मशीन | 1 | 250000.00 |
| | | | 5-पार्ट हेमेटोलॉजी एनालाईजर | 1 | 529500.00 |
| | | | एनस्थीसिया वर्क स्टेशन | 1 | 1500000.00 |
| 4 | मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, 100शैय्या क्षयरोग सह-सामान्य चिकित्सालय, गोरखपुर | पत्र संख्या-उपकरण/मांग पत्र/2026-27/179(2), दिनांक 29.06.2026 | डिफीब्रिलेटर | 1 | 550000.00 |
| | | | 2 डी इको मशीन | 1 | 6200000.00 |
| | | | ई0सी0जी0 मशीन | 1 | 250000.00 |
| | | | इलेक्ट्रोकाट्री | 1 | 396066.00 |
| | | | लेप्रोस्कोप (सर्जरी) | 1 | 2000000.00 |
| | | | आटो रिफ्रिक्टोमीटर एवं किरोटोमीटर | 1 | 495000.00 |
| | | | नॉन कान्टेक्ट टोनोमीटर | 1 | 593887.00 |
| | | | बी स्कैन | 1 | 2560000.00 |
| | | | ऑपरेटिंग माइक्रो स्कोप(नेत्र) | 1 | 3700000.00 |
| | | | फेको मशीन | 1 | 1990000.00 |
| 5 | निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, डा0 एस0पी0एम0(सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ | पत्र संख्या-एस0पी0एम0/उपकरण/2026-27/4012, दिनांक 08.07.2026 | Bed Side Moniter MULTIPARA Plus BP NIBP IBP ET CO2 main Stream and Side Stream | 2 | 600000.00 |
| | | | एनस्थीसिया वर्क स्टेशन | 2 | 3000000.00 |
| | | | हॉरिजेन्टल ऑटोक्लेव | 2 | 1736548.00 |
| | | | Bed Side MULTIPARA Moniter ECG BP & SPO2,3 PARA(Rs. 168000.00) | 20 | 3360000.00 |
| | | | 5-पार्ट हेमेटोलॉजी एनालाईजर | 1 | 529500.00 |
| | | | कलर डापलर अल्ट्रासाउण्ड मशीन | 1 | 868274.00 |
| | | | लेप्रोस्कोप सेट मय इन्स्ट्रूमेन्ट(सर्जरी) | 1 | 2000000.00 |
| 6 | मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, 100शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, हरदोई | पत्र संख्या-मु0चि0अधी0/उपकरण/मांग/2026-27/295, दिनांक 30.06.2026 | सी-आर्म मशीन विद अटैचमेन्ट | 1 | 1903023.00 |
| | | | अर्थो ओ0टी0 टेबल | 1 | 190000.00 |
| | | | एनस्थीसिया वर्क स्टेशन | 1 | 1500000.00 |
| | | | ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप(ई0एन0टी0) | 1 | 2500000.00 |
| | | | ए स्कैन | 1 | 450240.00 |
| | | | 1000एम0ए0 डिजिटल एक्स-रे मशीन | 1 | 9653196.00 |
| | | | आटो रिफ्रिक्टोमीटर एवं किरोटोमीटर | 1 | 495000.00 |
| | कुल योग | | | 57 | 60127328.00 |

https://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

**नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों**

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 एवं उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट-मैनुअल शासनादेश संख्या-5/2016/253/18-2-2016-3 (एस0पी0)/2010, दिनांक 01.04.2016 में क्रय नियमों/प्रक्रिया के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था एवं जेम पोर्टल पर विभिन्न विभागों/संस्थाओं/निगमों के द्वारा जेम से क्रय किये जाने के सम्बन्ध में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23.08.2017 शासनादेश संख्या-7/2020/151/18-2-2020-63(ल0उ0)/12, दिनांक 19.03.2020, शासनादेश संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97(ल0उ0)/201टी0सी0, दिनांक 25.08.2020, शासनादेश संख्या-17/2021/233/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी0सी0, दिनांक 31.05.2021, शासनादेश संख्या-42/2021/491/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी0सी0, दिनांक 26.10.2021, शासनादेश संख्या-23/2022/165/18-2-2022-97(ल0उ0)/2016टी0सी0, दिनांक 29.06.2022 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 उद्योग विभाग के अद्यतन शासनादेशों के साथ-साथ क्रय सम्बन्धी प्रचलित समस्त शासनादेशों/नियमों/विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में इंगित/अनुमानित दरों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके आधार पर ही नियमानुसार अग्रत्तर कार्यवाही की जायेगी।
3. चिकित्सा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3/2020/470/पांच-1-2020-5(36)/2017, दिनांक 12.03.2020 में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रूपया 2.00 लाख प्रति उपकरण से कम के उपकरणों (साज-सज्जा एवं फर्नीचर को छोड़कर) का क्रय परिधिगत अधिकारियों द्वारा तथा रूपया 2.00 लाख से अधिक के उपकरणों का क्रय उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 द्वारा अनिवार्यतः जेम पोर्टल से किया जायेगा।
4. प्रश्नगत उपकरणों का क्रय टर्नकी आधार पर जेम बिड द्वारा ही सम्बन्धित जनपद/चिकित्सालय के परिधिगत अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। जेम पोर्टल से क्रय अनिवार्यता हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23.08.2017 के अन्तर्गत आवश्यकता को टुकडे-टुकडे में क्रय किया जाना अनियमितता की श्रेणी में माना गया है एवं जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय की निर्धारित गाइड लाइन्स/रूल्स, सी0वी0सी0 एवं प्रोक्योरमेन्ट आफ गुडस, 2022 के गाइड लाइन्स में उल्लिखित समस्त प्रतिबन्धों/निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन प्रत्येक दशा में प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित क्रय अधिकारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उक्त अवमुक्त धनराशि को सम्बन्धित जनपद/चिकित्सालय के परिधिगत अधिकारियों को यथावश्यकतानुसार/नियमानुसार हस्तान्तारित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उपकरणों की स्थल पर आपूर्ति की तिथि से ही लॉगबुक अनुरक्षित की जाएं, ताकि निरीक्षण/ऑडिट अधिकारियों द्वारा इन मशीनों की स्थापना और उसके बाद इनकी समय-समय पर क्षमता के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके, जिससे शासन को भी अवगत करायेंगे।
7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृत किये जा रहे उपकरण मानक के अनुसार ही प्रस्तावित किये गये है। यदि मानक से इतर उपकरण/मशीन प्रस्तावित क्रय किये जाते है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्वं क्रयाधिकारी का होगा।
8. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत नये उपकरणों/मशीनों के स्थान पर पूर्व से उपलब्ध पुराने उपकरणों/मशीनों को शासनादेश संख्या-ए-2-1092/दस-2011-24(7)-95, दिनांक 25.11.2011 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य घोषित कर उनको निस्तारित किया गया है और प्रश्नगत पुराने उपकरण अपना औसत कालावधि पूर्ण कर चुके है। निष्प्रयोज्यन उपकरणों के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. उपकरणों का अनुकूलतम सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता तत्परता से सुनिश्चित की जाए।
10. प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।
11. उपकरणों हेतु क्रय प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा।
12. विभाग द्वारा उपकरणों की आवश्यकता तथा मानक स्वयं सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय किये जा रहे उपकरण प्रश्नगत चिकित्सालय के लिये आवश्यक एवं मानकानुसार है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

13. उक्त स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0, बैंक अथवा डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

14. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन शासन की अनुमति लेकर ही किया जायेगा।

15. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों/कार्यों की पुनरावृत्ति न हो।

16. उपकरणों की मद चूंकि मितव्ययिता की मद है, अतः इनके क्रय में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं न्यूनतम मूल्य पर क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. उपकरणों की गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रयाधिकारी का होगा।

18. प्रश्नगत उपकरणों के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण कर लिये जाने के बाद ही आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन से किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययियिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के फलस्वरूप नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

20. इस सम्बन्ध में लेखों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज से करके इसकी सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

21. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो।

22. उपरोक्त सन्दर्भित समस्त बिन्दुओं से इतर अन्य किसी राजकीय विभाग के शासनादेश जो क्रय नियमों से सम्बन्धित नहीं है, का निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में औचित्य पूर्ण पाये जाने की स्थिति में शासकीय अनुमति के उपरान्त ही अपनाई गई प्रकिया नियमानुसार मान्य होगी।

23. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बिन्दु 1 से 22 में अंकित नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन ही प्रश्नगत राशि का व्यय किया जाये।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,01,27,328 (रुपये छह करोड़ एक लाख सत्ताईस हजार तीन सौ अट्ठाईस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक** 4210011106400 जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें **मानक मद-**26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
**चन्द्र शेखर मिश्र**
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक (चिकित्सा उपचार/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. सम्बन्धित अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
**चन्द्र शेखर मिश्र**
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।